MADHYA PRADESH HIGH COURT BAR ASSOCIATION

Silver Jubilee Hall

High Court Campus, Jabalpur

President
DHANYA KUMAR JAIN
Advocate
Mob.: 9300787853, 9424323429

2024-2026

Resident Add.:
1262, Jai Prakash Nagar
Adhartal, Jabalpur (M.P.)

Ref. No. 1059/26

Date: 28-04-26

प्रति

1. माननीय महामहिम श्रीमति द्रोपति मुर्मू जी
   माननीय राष्ट्रपति महोदया, नई दिल्ली भारत
2. माननीय नरेन्द्र मोदी जी
   माननीय प्रधानमंत्री महोदय, नई दिल्ली भारत
3. माननीय अमित शाह जी
   माननीय गृहमंत्री महोदय, नई दिल्ली भारत

द्वारा - श्रीमान जिला अध्यक्ष महोदय, जबलपुर

विषय- देश के तानाशाह मुख्य न्यायमूर्ति श्री सूर्यकांत जी के द्वारा दिनांक 27.04.2026 को उच्चतम न्यायालय में प्रकरण क्र. 33 की सुनवाई के दौरान मेरा प्रकरण नियत ना होने के बावजूद भी खुले न्यायालय में मुझे क्रिमिनल कंटेम्प्ट और एक लाख रूपये जुर्माना लगाने की धमकी देकर देश की सर्वोच्च अदालत की आपराधिक अवमानना करने के संबंध में निवेदन।

एवं

28/4/26

बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष तथा राज्य सभा के सदस्य श्री मनन मिश्रा के द्वारा देश भर के अधिवक्तागणों का लोकतंत्र षड़यंत्रपूर्ण खत्म करने के संबंध में निवेदन।

माननीय महामहिम जी

माननीय महामहिम जी मैं, धन्य कुमार जैन मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ का निर्वाचित अध्यक्ष हूं हमारे देश के अधिवक्ताओं की सर्वोच्च संस्था बार काउंसिल आफ इंडिया के अध्यक्ष श्री मनन मिश्रा जो स्वयं वर्षों से दो-दो पदों पर काबिज हैं देश के अधिवक्ताओं का लोकतंत्र खत्म करने की नियत से उन्होंने वर्ष 2016 में ऐसा कानून पारित किया कि स्थानीय बार का कोई भी पदाधिकारी राज्य अधिवक्ता परिषद का चुनाव नहीं लड़ सकता है जबकि राज्य अधिवक्ता परिषद के सदस्यों को स्थानीय बार के पदाधिकारी के पद पर चुनाव लड़ने की पात्रता थी इसके विरोध में हमने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष एस.एल.पी. 226/2026 दायर की जिसका निराकरण करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने 7 दिनों के भीतर उक्त नियम

Scanned with OKEN Scanner

संशोधित करने का आदेश पारित किया जिसके परिपालन में बार काउंसिल ने यह नियम पारित किया कि कोई भी स्थानीय बार का पदाधिकारी भी राज्य अधिवक्ता परिषद का चुनाव लड़ सकता है परन्तु चुनाव जीतने के उपरांत उसे एक पद से इस्तीफा देना होगा। परन्तु श्री मनन मिश्रा ने उक्त नियम का नोटिफिकेशन दुर्भावनापूर्वक नहीं किया जिस कारण प्रदेश की अनेकों राज्य अधिवक्ता परिषदों के अनेकों पदाधिकारियों के नामांकन फार्म निरस्त कर योग्य सेवाभावी अधिवक्ताओं को राज्य अधिवक्ता परिषद में आने से रोका और बरसों से काबिज जिन पुराने सदस्यों के प्रति अधिवक्तागणों का विश्वास समाप्त हो चुका था उनकी जीत का मार्ग प्रशस्त कर श्री मनन मिश्रा ने लोकतंत्र की हत्या करने का अपराध किया है।

माननीय महामहिम जी, हमारी मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के चुनाव कराने की जबावदेही माननीय उच्चतम न्यायालय ने जस्टिस सुधांशू धूलिया समिति को दी थी जिसमें अनेकों पूर्व न्यायाधिपति एवं अनेकों सीनियर एडवोकेट सम्मिलित है, को साढ़े चार लाख, साढ़े तीन लाख और ढ़ाई लाख रूपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाना तय किया जो हमारी गरीब अधिवक्ता परिषद पर भारी बोझ था जिसका हमारे द्वारा विरोध भी किया गया परन्तु हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई धूलिया समिति ने चुनाव लड़ने वाले सभी स्थानीय बार के पदाधिकारियों के लिए 5000/- के नामांकन फार्म में इस बात की नियमावली बनाई कि कोई भी स्थानीय बार का पदाधिकारी भी चुनाव लड़ सकता है परन्तु चुनाव जीतने के 15 दिनों के भीतर उसे अपने एक पद से इस्तीफा देना होगा। इसके साथ ही नामांकन शुल्क 1,25,000/- रूपये सभी स्थानीय बार के पदाधिकारियों से जमा करवाई गई जो वापिसी योग्य नहीं थी, बाद में जस्टिस धूलिया समिति के द्वारा हम सभी स्थानीय बार के सभी पदाधिकारियों के जिन्हें भारी जनसमर्थन प्राप्त था और जिनकी जीत की प्रबल सभावना थी, उनके फार्म इस आधार पर निरस्त कर दिये कि हम पूर्व से एक बार के पदाधिकारी हैं और हमारी नामांकन शुल्क जो वापिसी योग्य नहीं थी उसे वापिस करने का आदेश पारित किया इस प्रकार धूलिया समिति के सभी सदस्यों ने हम सभी पदाधिकारियों को जो नामांकन पूर्व ही अपना इस्तीफा देने तैयार थे, इस्तीफा देने से रोक कर हमारे नामांकन फार्म भरवाकर एक पद पर पदाधिकारी होने के आधार पर हम सभी के नामांकन निरस्त कर वर्षों से राज्य अधिवक्ता परिषद में अपने पदों पर काबिज ऐसे सदस्यगण जो आम अधिवक्तागणों का विश्वास खो चुके थे उनकी जीत का मार्ग प्रशस्त कर लोकतंत्र की हत्या की परन्तु माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा हम अधिवक्ताओं को धोखा देने वाले किसी भी नियम कानून का पालन न करने वाले श्री मनन मिश्रा और जस्टिस धूलिया समिति के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला जबकि भारी अनियमितताओं के चलते म.प्र. राज्य अधिवक्ता परिषद का चुनाव तत्काल

Scanned with OKEN Scanner

निरस्त किया जाना चाहिए था। दिल्ली बार काउंसिल के चुनाव में भी भारी धांधली के चलते हजारों अधिवक्तागण और पुलिस आमने सामने खड़े होने से न्यायापालिका की गरिमा धूमिल हो रही है और बार काउंसिल आफ इंडिया की किसी भी नियमावली का पालन नहीं किया पुराने विश्वास खो चुके सदस्यों को जिताने की नियत से उन्हें मतदान ना करने की इच्छा रखने वाले 52000 अधिवक्तागणों के नाम खोज खोजकर मतदाता सूची से अलग कर दिये गये हमारे द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय और जस्टिस धूलिया समिति के समक्ष अनेकों लिखित और मौखिक शिकायतें की गई परन्तु चुनाव समिति ने दुर्भावनापूर्वक हमारी कोई सुनवाई नहीं की हमें कहीं से न्याय ना मिलने पर पुलिस अधीक्षक जबलपुर के समक्ष एक लिखित शिकायत प्रदर्श दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत की गई और प्रेस कांफ्रेंस और सोशल मीडिया के द्वारा जस्टिस धूलिया समिति और श्री मनन मिश्रा के द्वारा किये जाने वाले अन्याय का जोरदार विरोध किया गया, जिसके कारण हम सभी पदाधिकारीगणों को चुनाव समिति, धूलिया समिति और सुप्रीम कोर्ट ने फुटबाल की भांति ठोकरें मार मार कर जबलपुर से दिल्ली दौड़ाया हम लोग अपना प्रचार प्रसार भूलकर पुनः उच्चतम न्यायालय के समक्ष न्याय की आशा में पहुंचे इसके पहले अनेकों लोगों ने हमारे अन्य साथियों से कहा कि माननीय मुख्य न्यायाधिपति भारत और श्री मनन मिश्रा अध्यक्ष बार काउंसिल आफ इंडिया और धूलिया समिति धन्य कुमार पर बहुत क्रोधित और नाराज है उनके साथ रहने पर तुम लोगों को किसी को भी न्याय नहीं मिलेगा इस सदभावना के चलते मेरे द्वारा अपने बाकी साथियों से अलग याचिका न्याय पाने हेतु उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

माननीय महामहिम महोदय जी, दिनांक 27.04.2026 को मेरे सभी साथीगणों की याचिका माननीय मुख्य न्यायाधिपति के न्यायालय में 33 नंबर पर सुनवाई हेतु नियत थी, मेरे द्वारा अलग से केस फाइल किये जाने के कारण मेरा प्रकरण बाकी साथियों के साथ सुनवाई हेतु नियत ही नहीं था अतः जब मेरे साथीगणों के अधिवक्ता अपने पक्षकारों के प्रकरण की पैरवी कर रहे थे तभी देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति ने देश के सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा को तार-तार करते हुए खुले न्यायालय में मुझे धमकी देते हुए बार बार पूछा धन्य कुमार कहां है धन्य कुमार कहां है उन्होंने हमारे जस्टिस धूलिया का बहुत अपमान किया है। इस पर हमारे साथियों के अधिवक्ताओं ने कहा उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं उनका केस अलग है परन्तु उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी और उन्होंने खुले न्यायालय में मुझे धमकी देते हुए कहा कि धन्य कुमार पर क्रिमिनल कंटेम्ट चलेगा और एक लाख रूपये जुर्माना देना होगा और मेरी वजह से मुझे बिना सुने मेरे साथियों के प्रकरण भी निरस्त कर देश की सर्वोच्च न्यायिक आसंदी के साथ सभी न्यायधीशों

Scanned with OKEN Scanner

की गरिमा को कलंकित कर देश की सर्वोच्च अदालत की अपराधिक अवमानना करने का अपराध किया जिसका वीडियो सारे देश में घूमघूमकर देश की सर्वोच्च अदालत के सम्मान को और सभी न्यायधीशगणों के सम्मान को नष्ट कर रहा है।

माननीय महामहिम जी, अजमल कसाब जैसे सैकड़ों आतंकवादियों को भी देश की अदालत ने सुनवाई का मौका देकर उन्हें सजा दी परन्तु मेरी सुनवाई किये बिना मेरी वजह से अनेकों निर्दोष याचिकाकर्ताओं की याचिका को देश की सर्वोच्च अदालत ने निरस्त कर युगों युगों तक देश की न्यायपालिका को कलंकित करने का काम किया है। जो माननीय मुख्य न्यायाधिपति के द्वारा किया जाने वाला अक्षम्य अपराध है। आपसे प्रार्थना है कि देश की न्यायपालिका के प्रति देश की आम जनता में न्याय का भरोसा जगाये रखने हेतु ऐसे तानाशाह मुख्य न्यायधीश के विरूद्ध न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही प्रारंभ करने की कृपा करें।

माननीय महामहिम जी, मुझे अनेकों स्थानों से यह धमकियां सुनने मिल रही हैं कि मेरी सनद रद्ध कर मुझे जेल भेज दिया जावेगा। देश का कोई भी न्यायधीश तुम्हारी बात को नहीं सुनेगा। ना ही तुम्हें कोई न्याय देने तैयार होगा। माननीय महामहिम जी देश की जनता देख रही है कि देश के न्यायधीशों के नाम बड़े बड़े अपराधों में संलिप्त होने के उपरांत भी उनके विरूद्ध कोई भी कार्यवाहियां नहीं होती हैं। उनसे इस्तीफा लेकर उनकी दोषमुक्ति का प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाता है। देश के एक न्यायाधिपति छः महीने की जेल से सजा काटने के उपरांत भी न्यायाधिपति के पद पर बने रहे देश की न्यायपालिका कहां जा रही है इसका सम्मान बचाए रखना देश के प्रत्येक नागरिक की जबावदेही है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ का अध्यक्ष बनने के उपरांत से ही मैं लगातार न्यायपालिका के दोषों को उजागर कर रहा हूं। जिस कारण मुझे अनेकों न्यायधीशों के हजारों चहेतों ने मुझे बार बार चुप रहने की सलाह दे रहे हैं। परन्तु मेरा मकसद देश की जनता में न्यायपालिका का सम्मान बढ़ाना है। उसके लिए मैं अपने जीवन के आखिरी क्षण तक संघर्ष करूंगा। माननीय महामहिम जी मैं किसी का स्थायी शत्रु नहीं सिर्फ अन्याय का विरोधी हूं अन्याय का विरोध करना ही मेरी पहचान है मेरा मकसद है कुछ लोग दबाव में झुक जाते हैं कुछ टूट जाते हैं कुछ टूटकर बिखर जाते हैं परन्तु विरले ऐसे भी होते हैं जिन्हें जितना तोड़ो उतने ही निखर जाते हैं। प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि न्यायपालिका मुझे जितना तोड़ने का प्रयास करे मैं न्यायपालिका में उतना ही निखार लाने में सफल हो सकूं। आपसे प्रार्थना है कि मेरे आवेदन पर संवेदनशीलता पूर्वक विचार कर कठोर कार्यवाही के निर्देश देंगे।

Scanned with OKEN Scanner

माननीय महामहिम जी, कल ही न्यायधीशों के एक सेमीनार में देश के मुख्य न्यायाधिपति ने बोलते हुए कहा कि जो एक बार न्यायधीश हो गया वह आजीवन न्यायधीश रहेगा। सेवानिवृत्ति उपरांत भी वह न्यायधीश रहेगा। आज जब देश की सर्वोच्च अदालत के मुख्य न्यायधीश न्यायिक आसंदी पर बैठकर न्यायधीश की गरिमा को नहीं बचा पा रहे हैं तो वह क्यों कहते हैं कि सेवानिवृत्ति उपरांत भी न्यायधीश न्यायधीश रहेगा और उसकी नियुक्ति हर आयोग में होनी चाहिए इसी वजह से आर्थिक लाभ पाने के लिए आजकल बहुत से न्यायधीश सेवानिवृत्ति उपरांत आयोगों में नियुक्ति पाने हेतु इधर उधर भटकते रहते हैं। और न्यायधीश के पद की गरिमा को रसातल में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। इस हेतु देश भर में न्यायधीशों का संघ बनाये जाने के प्रयास जोर शोर से चल रहे हैं। जबकि सच्चा न्यायधीश अकेला भी होता है तो उसे दुनिया झुककर प्रणाम करती है और बेइमान न्यायधीशों का झुंड भी देश की जनता से कभी वास्तविक सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता है।

स्थान-जबलपुर
दिनांक-28.04.2026

धन्य कुमार जैन
अध्यक्ष
म.प्र.उ.न्या.अधि.संघ,
जबलपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ

1. माननीय कानून मंत्री महोदय, नई दिल्ली भारत सरकार

2. माननीय अध्यक्ष महोदय, उच्चतम न्यायालय अधिवक्ता संघ, नई दिल्ली भारत

3. माननीय देश की सभी राज्य अधिवक्ता परिषदों के अध्यक्षगण

4. देश के सभी उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघों के माननीय अध्यक्षगण

M.P. HIGH COURT BAR ASSOCIATION ★ JABALPUR ★ INDIA
28/4/26

Scanned with OKEN Scanner